

**कार्यालय: विद्या शिक्षा अधिकारी (मुख्यात्म) प्रारम्भिक GANGANAGAR ,  
राजस्थान**

क्रमांक: ८०९

दिनांक ७-८-२०२४

खलिय

प्रबन्ध समिति

G-ROOTS GLOBAL SCHOOL

**विवर :-** राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 एवं (संशोधन) नियम, 2011 के नियम ८-के तुष्टि नियम(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक ५६१३० और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पक्षात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, G-ROOTS GLOBAL SCHOOL पता SRI KARAN PUR GANGA NAGAR ROAD CHAK 8 O SRI KARAN प्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय ३ O न्यूटक KARANPUR राजस्थान प्रासा (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण ) kila n. 11-12,&13 खसरा न. 630,1010,260,130,1130,640,1010,380,260,250,620,127 को शैक्षिक सत्र 2024-25 से नियमानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ उक्त मंजूरी नियमितिहित शर्तों की पूर्ति के अंतर्धीन होगी।

मान्यता का प्रकार	नवीन मान्यता कक्षा (1-8)
विद्यालय का स्वीकृत मान्यता कक्षा स्तर	
मान्यता का माध्यम	English
मान्यता के वर्ष से ही कक्षा 7 एवं 8 के संवालन की अनुमति	Yes

1. विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्ति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाली विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जाकी। शैक्षिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस द्वेष में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेंसी (प्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संवालन करें।

2. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा 8 से आगे मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता अंतर्निहित नहीं होगी।

3. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या ५) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।

4. विद्यालय कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ोस के 'कमज़ोर वर्ग' और 'अभावग्रस्त समूह' से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी संपादित तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा। ऐसा करने के लिए विद्यालय एक पृष्ठक बैंक खाता रखेगा।

5. पेरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

6. सोसाइटी/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस (Capitation Fee) संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई (Screening) प्रक्रिया का पात्र नहीं बनाएगा।

7. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि

(I) विद्यालय में प्रावैष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;

(II) कोई बालक शारीरिक दंड या मानसिक उत्तीर्णन का पात्र नहीं होगा; RajKaj Ref 9604953

(III) किसी बालक को उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की प्रगति जीवनी दिलासा नहीं होगा।

Generated from NIC-PSP (<http://rajpsp.nic.in>) Web-Port



Signature valid

Digitally signed by Girish Kant

Sharma

Designation : State Education Officer

Date: 2024-08-01 12:20:00 IST

Reason: Approved

Principal  
Groots Global School  
8 'O' Sri Karanpur

Secretary  
G-Roots Global School  
Sri Karanpur

**कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक GANGANAGAR ,  
राजस्थान**


- (v) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन पाठ्य- अधिकारित प्राप्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (vi) 2009 के अधिनियम के उपबोधों के अनुसार निर्यात्याता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए।
- (vii) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा(1) के अधीन अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जाए।
- (viii) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
- g. विद्यालय समृच्छित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यक्रम (Curriculum) के आधार पर पाठ्य विवरण(Syllabus) का अनुसरण करते हैं।
9. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में पाठ्य-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करता है एवं आगे भी करता रहेगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संस्करणों या मैटान-क्लेवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
12. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम सं 21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक या सामाजिक संगठन या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
14. किसी वार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखी की संपरीक्षा और उन्हें प्राप्तानि दिया जाएगा और नियमों के अनुसार समृच्छित लेखा विवरण तैयार किया जाएगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।
15. इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए पी एस ए प्रॉफे कॉड का उपयोग किया जाए।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निर्देशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय- समय पर अपेक्षा की जाए और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारीसे के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या
17. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
18. विद्यालय शिक्षा विभाग के शक्षणिक कलेण्डर का उपयोग करेगा।
19. गैर सरकारी विद्यालय में अच्युतनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्ति वापिस लिए जाने की कार्याबाही की जावेगी।
20. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालय नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम-परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
21. अन्य शर्तें जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखी जाएंगी, मान्य होंगी।


RajKaj Ref  
9604953

**Signature valid**

Digitally signed by Girish Kant Sharma  
Designation : State Education Officer  
Date : 2024.08.08 12:26:01 IST  
Reason: Approved

Generated from NIC-PSP(<http://rajpsp.nic.in>) Web-Portal

  
**Principal**  
Groots Global School  
8 'O' Sri Karanpur

  
**Secretary**  
G-Roots Global School  
Sri Karanpur

**कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक GANGANAGAR ,  
राजस्थान**

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय प्रारम्भिक

मेरी स्थिति प्रभावित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. बीचु छासन उप सचिव, शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
4. स्कॉलर ग्राहिकारी एवं नियम (एवं परायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास नगर, तहसीलदार कार्यालय, उपसभाकार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूम्पान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित भूगोलीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रद्देत प्राप्तता।

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय प्रारम्भिक




Generated from NIC-PSP (<http://rajpsp.nic.in>) Web-Portal

RajKaj Ref  
9604953

**Signature valid**  
Digitally signed by Girish Kant  
Sharma  
Designation : District Education Officer  
Date: 2024.08.01 12:20:50 IST  
Reason: Approved

Principal  
Groots Global School  
8 'O' Sri Karanpur

  
**Secretary**  
**G-Roots Global School**  
Sri Karanpur